न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान लिक्षमण राम बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 118/2025
निर्णय दिनांक ......26/06/25......

लिक्षमण राम पुत्र सोहन लाल जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 02 तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा बुचावास पटवार हल्का बुचावास तहसील तारानगर के खाता संख्या 362 खसरा सं. 388 तादादी 0.0253 हैक्ट, खसरा नं. 389 तादादी 0.0253 हैक्ट., खसरा नं. 390 तादादी 14.0233 हैक्ट., खसरा नं. 390/1369 तादादी 0.2782, खसरा नं. 470 तादादी 4.4258 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी रोही मौजा बुचावास पटवार हल्का बुचावास तहसील तारानगर में भूलवश वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लिछमन पुत्र सोहनलाल दर्ज हो गया, जो गलत है। जिसका पता प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में से जमाबंदी निकलवाने पर हुआ। जबकि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में सही नाम लिछमण राम पुत्र सोहनलाल है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा बुचावास पटवार हल्का बुचावास तहसील तारानगर के खाता संख्या 362 खसरा सं. 388 तादादी 0.0253 हैक्ट, खसरा नं. 389 तादादी 0.0253 हैक्ट., खसरा नं. 390 तादादी 14.0233 हैक्ट., खसरा नं. 390/1369 तादादी 0.2782, खसरा नं. 470 तादादी 4.4258 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम लिक्षमण राम पुत्र सोहनलाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम लिक्षमण राम पुत्र सोहनलाल व लिछमन पुत्र सोहनलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम लिछमण राम पुत्र सोहनलाल पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम लिछमण राम पुत्र सोहनलाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लिछमन पुत्र सोहनलाल अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि बुचावास पटवार हल्का बुचावास तहसील तारानगर के खाता संख्या 362 खसरा सं. 388 तादादी 0.0253 हैक्ट, खसरा नं. 389 तादादी 0.0253 हैक्ट., खसरा नं. 390 तादादी 14.0233 हैक्ट., खसरा नं. 390/1369 तादादी 0.2782, खसरा नं. 470 तादादी 4.4258 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **लिछमन Delete** कर इसके स्थान पर **लिछमण राम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/06/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)